

वकील डिंडीदार ने आवेदन पत्र आदेश 21 नियम 11
जा. दी के तहत मद्रयान के विरुद्ध प्रस्तुत किया।
प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर डिंडी की
प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाते हुए लिखा
जावे। वाले डिंडी की पालना हेतु पत्रावली दिनांक
31-8-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

31-8-18 पत्रावली पेश हुई। वकील डिंडीदार उपस्थित। T.D.R. भीलवाड़ा से
डिंडी की पालना प्राप्त नहीं हुई। नमः T.D.R. भीलवाड़ा से डिंडी की
पालना भिजवाते काफ़ी प्रगति मिली जाके। वारन्त डिंडी की पालना
हेतु पत्रावली दिनांक 26-10-18 को पेश हो।

26-10-18 पत्रावली पेश हुई। वकील डिंडीदार उपस्थित। P.O. कांठ
स्वागतान्तरा हो उका ही वारन्त डिंडी की पालना हेतु पत्रावली
दिनांक 25-2-19 को पेश हो। B.O.

25-2-19 पत्रावली पेश हुई। वकील डिंडीदार उपस्थित। P.O. कांठ काफ़ी
दस्तावेज पर ही वारन्त डिंडी की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 29-5-19
को पेश हो। B.O.

29-5-19 पत्रावली पेश हुई। वकील डिंडीदार उपस्थित। P.O. कांठ कांठ
राजस्थान कार्य 80 मरना ही वारन्त डिंडी की पालना हेतु पत्रावली
दिनांक 31-7-19 को पेश हो। B.O.

31-7-19 पत्रावली पेश हुई। वकील डिंडीदार उपस्थित। T.D.R. भीलवाड़ा।
की कोर के निर्णय एवं डिंडी दिनांक 20-5-2018 की पालना
के जमावदी की तहसिल प्रस्ताव की। जिनके जरिये तहसिल नम
1652 दिनांक 26-9-18 को एका पालना की जाकर राजस रेकार्ड के
दस्तावेज बनाए किया जा उका ही डिंडी प्रकाश की कार्यवाही को
नहीं हो पत्रावली के काल सुभारत की जाकर दस्तावेज जारी नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा